न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनूं(राज0)

पीठासीन अधिकारी — जगदीश प्रसाद गौड़
आर. ए. एस.

प्रकरण अपील संख्या : 56 / 2020

धर्मपाल पुत्र हनुमान उम्र 68 वर्ष, जाति खाती, निवासी ढाकामण्डी, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू। — रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल अ0 धारा 91एल0आर0एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 118 / 2020 निर्णय दिनांक 14.09.2020

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री शिव हरिप्रसाद ....अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैनी .... राज0सरकार की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 25.02.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.09.2020 सरकार बनाम धर्मपाल मुकदमा नम्बर 118 / 2020 अ0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट 1956, न्यायालय तहसीलदार बुहाना के पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बुहाना ने अपीलान्ट को खसरा नम्बर 175 गै0 मु0 जोहड़ सरहद मौजा ढाकामण्डी तहसील बुहाना 0.01 हेक्टेयर पर अतिक्रमी मानकर बेदखल कर 1/- रूपये जुर्माना बतौर शास्ति से दण्डित किया है। जिस पर अपीलान्ट ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.02.25 18:36:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 24.07.2020 अपूर्ण व अस्पष्ट है तथाकथित स्थल की लम्बाई चौड़ाई का अंकन नही है। ना ही अतिक्रमण स्थल का नक्शा है। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट पर भू–निरिक्षक द्वारा कोई रिपोर्ट/जांच नही की गई है कि अतिक्रमण है या नही है। अतिक्रमण वैध है या गैर कानूनी। पटवारी हल्का व भू– अभिलेख निरिक्षक ने उक्त रिपोर्ट को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित बतौर साक्षी होकर साबित भी नही किया है। इस प्रकार तथाकथित अतिक्रमण रिपोर्ट साबित नही है। मुकदमा नम्बर 230/1976 उनवानी सरकार बनाम रामदयाल वगैरह का मुकदमा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम गत खसरा नम्बर 126 गैर मुमकिन जोहड़ मौजा ग्राम ढाकामण्डी तहसील खेतड़ी अनेक गैर सायलान के विरूद्ध चला पीठासीन अधिकारी के समक्ष हाजिर होकर अपने अपने पुराने कब्जे बताकर अपने एवं अपने गवाहन के बयान करवाये। तहसीलदार महोदय खेतड़ी ने पटवार हल्का से नक्शा मौका एवं जांच रिपोर्ट के आधार को सही मानते हुए दिनांक 01.01.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर राज्य सरकार के परिपत्र संख्या F-(17) राज0/ख/79 दिनांकित 03.07.1971 का अनुसरण करते हुए कब्जा नियमन योग्य माना तथा सनद फीस 5/– रूपये व शास्ति 125/– रूपये कुल 130/– रूपये जमा करवाये जाने पर सनद/पट्टा जारी किये जाने के आदेश दिये जिस पर गैर सायलान ने/अपीलान्ट के पूर्वजों ने दिनांक 14.09.1976 को 130/– रूपये जमा करवा दिये। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1976 के प्रावधान लागू नही होने के कारण निर्णय दिनांक 14.09.2020 खारीज होने योग्य है। तहसीलदार बुहाना के आदेशानुसार सम्वत 2068 में खसरा संपरिवर्तन तथा गैर मुस्तकील रिपोर्ट जो 1 लगायत 132 गैर सायलान को प्रश्नगत खसरा नं0 126 हाल खसरा नम्बर 175 मौजा ग्राम ढाकामण्डी तहसील बुहाना क्रम संख्या 98 हनुमान पुत्र चेतराम रकबा 0.03 है0 क्रम संख्या 102 धर्मपाल पुत्र हनुमान रकबा 0.02 है0 क्रम संख्या 127 धर्मपाल रकबा 0.04 है0 कुल खसरा संपरिवर्तन रकबा 0.09 हैक्टेयर तथा वर्तमान तथाकथित प्रकरण में 0.01 हैक्टेयर पर अतिक्रमण मानकर बेदखल का आदेश दिया है जो नियमन कार्यवाही के विरूद्ध आदे[illegible] योग्य है। निर्णय दिनांक 13.09.1976 न्यायालय तहसीलदार खेत[illegible] में सपरिवर्तन कर देने के पश्चात जब तक सपरिवर्तन आदेश [illegible] तब तक राजस्व न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.02.25 13:36:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नही है। सुनवाई सिविल न्यायालय ही कर सकता है फिर भी अदालत मातहत ने बिना क्षेत्राधिकार आदेश पारित कर कानूनी गलती की है । तथाकथित प्रश्नगत भूमि पर संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत दोहरे ट्राईल से मुक्त है तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय के सिद्धान्त को अदालत मातहत ने नजर अंदाज करते हुए क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय किया है । तथाकथित अतिक्रमी स्थल पर अपीलाण्ट एवं उसके पूर्वजों का दिनांक 01.07.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर तहसीलदार महोदय खेतड़ी ने प्रश्नगत भूमि को नियमन करने का आदेश पारित किया था। प्रश्नगत भूमि गत खसरा नं0 126 एवं हाल खसरा नं0 175 गैर मुमकिन जोहड़ सरहद ढाकामण्डी के सम्पूर्ण भू–भाग पर गांव की आबादी है तथा पशुधन इत्यादि के बाड़े बने हुए हैं जहां पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मूलभूत सुविधा जैसे विद्युत कनेक्शन, पानी सप्लाई, पानी सप्लाई के लिए कुआं, पाईप लाईन, इन्टरलॉक सड़क निर्माण आदि। इस तरह अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण नही है नियमन योग्य व वैध है। अपीलान्ट के साथ अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नही की है। अदालत मातहत ने सयुक्त रूप से अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया है जो कानूनन वैध नही है। इस तरह आज्ञापक आदेशों की पालना नही कर विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर निर्णय जैर बहस पारित किया है । अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस बिना किसी स्पष्ट आधारों के पारित किया है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलान्ट का कब्जा आदेश दिनांक 01.01.1971 का आदेश नियमन योग्य क्यों नही है, स्पष्ट नही किया गया। अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 02.09.2020 जबाब एवं विधुत बिल की प्रति का निर्णय जैर बहस में डिस्कस नही किया गया है। प्रार्थना पत्र एवं बिल सपरिवर्तन आदेश निर्णय दिनांक 01.07.1971 को एवं सनद (पट्टा) एवं उसकी जमा शुल्क रसीद को सही क्यों नही माना डिस्कस जैर बहस में नही किया गया है। अपीलान्ट ने अपनी जमीन होना मानकर ही मकान सदभाविक रूप से किया है। तहसीलदार महोदय ने प्रश्नगत जमीन गत खसरा नं0 126 एवं हाल खसरा नं0 175 गैर मुमकिन जोहड़ मौजा ढाकामण्डी की सरहद में तहसीलदार खेतड़ी ने मुकदमा नम्बर 230/70 बउनवानी सरकार बनाम रामदयाल जो अपीलान्ट के पूर्वज हैं को प्रश्नगत भूमि समेत तागायत 135 व्यक्तियों को 01.01.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर नियमन आदेश किया । पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट की है अपीलान्ट की मंशा अतिक्रमण करने की कभी नही रही। उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.02.25 18:36:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

परिस्थितियों को नजर अंदाज करते हुए अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित किया जो तथ्य विधि की भूल है। अदालत मातहत का निर्णय जैर बहस बिना किसी आधार व बिना क्षेत्राधिकार, अवैध व शून्य कपटर्पूण होने से काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना के आदेश दिनांक 04.09.2020 को खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत तलब होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 24.07.2020 अपूर्ण व अस्पष्ट है तथाकथित स्थल की लम्बाई चौड़ाई का अंकन नही है। ना ही अतिक्रमण स्थल का नक्शा है। पटवारी हल्का द्वारा अतिकमण रिपोर्ट पर भू–निरिक्षक द्वारा कोई रिपोर्ट/जांच नही की गई है कि अतिकमण है या नही है। अतिकमण वैध है या गैर कानूनी। पटवारी हल्का व भू– अभिलेख निरिक्षक ने उक्त रिपोर्ट को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित बतौर साक्षी होकर साबित भी नही किया है। तथाकथित अतिक्रमण रिपोर्ट साबित नही है। मुकदमा नम्बर 230/1976 उनवानी सरकार बनाम रामदयाल वगैरह का मुकदमा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम गत खसरा नम्बर 126 गैर मुमकिन जोहड़ मौजा ग्राम ढाकामण्डी तहसील खेतड़ी अनेक गैर सायलान के विरूद्ध चला पीठासीन अधिकारी के समक्ष हाजिर होकर अपने–अपने पुराने कब्जे बताकर अपने एवं अपने गवाहन के बयान करवाये। तहसीलदार खेतड़ी ने पटवार हल्का से नक्शा मौका एवं जांच रिपोर्ट के आधार को सही मानते हुए दिनांक 01.01. 1971 से पूर्व का कब्जा मानकर राज्य सरकार के परिपत्र संख्या F-(17) राज0/ख/79 दिनांकित 03.07.1971 का अनुसरण करते हुए कब्जा नियमन योग्य माना तथा सनद फीस 5/– रूपये व शास्ति 125/– रूपये कुल 130/– रूपये जमा करवाये जाने पर सनद/पट्टा जारी किये जाने के आदेश दिये जिस पर गैर सायलान ने/अपीलान्ट के पूर्वजों ने दिनांक 14.09.1976 को 130/– रूपये जमा करवा दिये। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1976 के प्रावधान लागू नही होने के कारण निर्णय दिनांक 14.09.2020 खारीज होने योग्य है। तहसीलदार बुहाना के आदेशानुसार सम्व[illegible] में खसरा संपरिवर्तन तथा गैर मुस्तकील रिपोर्ट जो 1 लगायत 132 [illegible] खसरा नं0 126 हाल खसरा नम्बर 175 मौजा ग्राम ढाकामण्डी तहसील [illegible] 98 हनुमान पुत्र चेतराम रकबा 0.03

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.02.25 18:36:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

है0 क्रम संख्या 102 धर्मपाल पुत्र हनुमान रकबा 0.02 है0 क्रम संख्या 127 धर्मपाल रकबा 0.04 है0 कुल खसरा संपरिवर्तन रकबा 0.09 हैक्टेयर तथा वर्तमान तथाकथित प्रकरण में 0.01 हैक्टेयर पर अतिक्रमण मानकर बेदखल का आदेश दिया है जो नियमन कार्यवाही के विरूद्ध आदेश है । निर्णय दिनांक 13.09.1976 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के आदेशानुसार आवासीय रूप में सपरिवर्तन कर देने के पश्चात जब तक सपरिवर्तन आदेश निरस्त नही करवा दिया जाता, तब तक राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नही है। सुनवाई सिविल न्यायालय ही कर सकता है अदालत मातहत ने बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित कर कानूनी गलती की है । तथाकथित प्रश्नगत भूमि पर संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत दोहरे ट्राईल से मुक्त है तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय के सिद्धान्त को अदालत मातहत ने नजर अंदाज करते हुए क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय किया है । तथाकथित अतिक्रमी स्थल पर अपीलाण्ट एवं उसके पूर्वजों का दिनांक 01.07.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर तहसीलदार खेतड़ी ने प्रश्नगत भूमि को नियमन करने का आदेश पारित किया था। प्रश्नगत भूमि गत खसरा नं0 126 एवं हाल खसरा नं0 175 गैर मुमकिन जोहड़ सरहद ढाकामण्डी के सम्पूर्ण भू–भाग पर गांव की आबादी है तथा पशुधन इत्यादि के बाड़े बने हुए हैं जहां पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मूलभूत सुविधा जैसे विद्युत कनेक्शन, पानी सप्लाई, पानी सप्लाई के लिए कुआं, पाईप लाईन, इन्टरलॉक सड़क निर्माण आदि। इस तरह अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण नही है नियमन योग्य व वैध है। अपीलान्ट के साथ अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नही की है। अदालत मातहत ने सयुक्त रूप से अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया है जो कानूनन वैध नही है। इस तरह आज्ञापक आदेशों की पालना नही कर विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर निर्णय जैर बहस पारित किया है । अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस बिना किसी स्पष्ट आधारों के पारित किया है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलान्ट का कब्जा आदेश दिनांक 01.01.1971 का आदेश नियमन योग्य क्यों नही है, स्पष्ट नही किया गया। अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 02.09.2020 जबाब एवं विधुत बिल की प्रति का निर्णय जैर बहस में डिस्कस नही किया गया है। प्रार्थना पत्र एवं बिल सपरिवर्तन आदेश [illegible] को एवं सनद (पट्टा) एवं उसकी जमा शुल्क रसीद को सही क्यों नही [illegible] जैर बहस में नही किया गया है। अपीलान्ट ने अपनी जमीन होना मानकर [illegible] रूप से किया है। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.02.25 18:36:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

महोदय ने प्रश्नगत जमीन गत खसरा नं0 126 एवं हाल खसरा नं0 175 गैर मुमकिन जोहड़ मौजा ढाकामण्डी की सरहद में तहसीलदार खेतड़ी ने मुकदमा नम्बर 230/70 बउनवानी सरकार बनाम रामदयाल जो अपीलान्ट के पूर्वज हैं में प्रश्नगत भूमि पर 1 लगायत 135 व्यक्तियों को 01.01.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर नियमन आदेश दिया था। पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट की है अपीलान्ट की मंशा अतिक्रमण करने की कभी नही रही। उपरोक्त परिस्थितियों को नजर अंदाज करते हुए अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित किया जो तथ्य विधि की भूल है। अदालत मातहत का निर्णय जैर बहस बिना किसी आधार व बिना क्षेत्राधिकार, अवैध व शून्य कपटर्पूण होने से काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना के आदेश दिनांक 04.09.2020 को खारिज किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि पटवारी हल्का झांझा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 175 कुल रकबा 4173 है0, किस्म गै0मु0 जोहड़ के रकबा 0.01 हैक्टर पर मकान व चार दिवारी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पटवारी हल्का झांझा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 175 कुल रकबा 4.17 है0, किस्म गै0मु0 जोहड़ के रकबा 0.01 हैक्टर पर मकान व चार दिवारी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जाना बताया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को नोटिस जारी कर सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । राजकीय गैर मु0 जोहड़ की भूमि नियमन योग्य भूमि नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैद्य साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.02.25 18:36:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2020 उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल मु0नं0 118/2020 यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 25.2.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/2/21

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.02.25 18:36:42 IST
Reason: SelfAttested